न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 27/2019, जिला दौसा

1. बनेसिंह
2. सरदारसिंह
3. बाबूलाल
4. सुरेन्द्रसिंह पुत्रान् भगवानसहाय
5. घीसा देवी पत्नी स्व0 भगवानसहाय
6. गिर्राज प्रसाद पुत्र रामप्रसाद
7. रामबाई पत्नी रामप्रसाद
8. विश्राम पुत्र रामप्रसाद
9. हंसराज पुत्र रामप्रसाद
10. कमोद पुत्री रामप्रसाद

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. गंगासहाय पुत्र रामसुखा
2. किशनलाल पुत्र गंगाबिशन
3. रामकरण पुत्र राजल्या

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।

4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला दौसा राज0।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा निर्णय दिनांक 27.04.2016

उपस्थित–

1. श्री पुष्पेन्द्र मिश्रा वकील अपीलान्ट
2. श्री आलोक चौधरी वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 की ओर से
3. श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक –18.10.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.04.2016 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 इस आशय के साथ पेश किया कि वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 4 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा नं. 24 रकबा 0.26 है0, खसरा नं. 25 रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 26 रकबा 0.38 है0 रेस्पोडेण्ट्स व उसके सह खातेदारान की भूमि है जिसमें आने–जाने के लिए रास्ता साबिक खसरा नं. 17 व 2 में से होकर है एवं भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान नक्शा ट्रैस में उक्त रास्ते को नहीं दर्शाया गया है एवं उक्त रास्ते की भूमि को नये खसरा नं. 180 व 181 में मिलाकर नक्शा ट्रैस जारी कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त नक्शा ट्रैस के संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2016 को भू–प्रबन्ध से

Scanned with OKEN Scanner

पूर्व खसरा नं. 17 व 2 में रास्ते को पुनः नवीन नक्शा ट्रेस में दर्शाने एवं खसरा नं. 180 व 181 से रास्ते की भूमि कम किये जाने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के उक्त निर्णय दिनांक 27.04.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट बनेसिंह पुत्र भगवानसहाय द्वारा यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा दिनांक 27.04.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि खसरा नं. 180 व 181 अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि है जिसके पूर्व खसरा नं. 16 है जिसमें से कभी भी रास्ता नहीं रहा है। खसरा नं. 17 अपीलांट की खातेदारी की भूमि के समीपस्थ है जिस आधार पर रेस्पोडेण्ट ने गलत तरीके से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना मौके की जॉच, खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रास्ता के आदेश दिये हैं वहॉ मौके पर कोई रास्ता नहीं रहा ना ही मौके पर आज भी कायम है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2016 पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा दिनांक 27.04.2016 निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 4 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा नं. 24 रकबा 0.26 है0, खसरा नं. 25 रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 26 रकबा 0.38 है0 रेस्पोडेण्ट्स व उसके सह खातेदारान की भूमि है जिसमें आने–जाने के लिए रास्ता साबिक खसरा नं. 17 व 2 में से होकर है एवं भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान नक्शा ट्रैस में उक्त रास्ते को नहीं दर्शाया गया है एवं उक्त रास्ते की भूमि को नये खसरा नं. 180 व 181 में मिलाकर गलत तरीकेसे नक्शा ट्रैस जारी कर दिया गया है। खसरा नं. 17 व 2 पर पूर्व से रास्ता प्रचलित है अन्य खातेदार भी वर्षों से इस रास्ते को आवागमन हेतु उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं एवं मौके पर रास्ता आज भी यथावत कायम है तथा सी.सी. रोड बनी हुई है। अपीलांट द्वारा तथ्यों को छुपाकर मियाद बाहर अपील पेश की है। अपीलांट्स को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर देकर व मौके की जॉच पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न दृष्टान्त पेश किये–

1. आर.आर.डी. 2018 पेज 6
2. डी.एन.जे. 2017(3) राज0 1054

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस एवं रेस्पोडेण्ट की लिखित बहस पर मनन

Scanned with OKEN Scanner

किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 27.06.2019 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् पर मनन किया गया। नक्शा ट्रैस रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 17 व 2 पर पूर्व से आने जाने हेतु रास्ता दर्ज है जिस आधार पर उक्त खसरा नम्बरों पर प्रचलित रास्ते का होना तार्किक प्रतीत होता है। जहॉ तक अपीलांट्स का तर्क है कि उन्हें नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय आदेश दिये गये हैं इस संबंध में अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन अनुसार अपीलांट्स को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये मेरिट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जिससे उक्त कथन सारहीन प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है। हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा का निर्णय दिनांक 27.04.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर